उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप पोर्टल का क्रियान्वयन शुरू

- ***अवस्थापना एवं औद्योगिक परियोजनाओं की समस्याओं के समाधान हेतु अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण***
- ***रु. 100 करोड़ से रु. 1000 करोड़ तक के निवेश वाली सार्वजनिक व निजी परियोजनाओं को उपलब्ध होगी यह सुविधा***

लखनऊ, 07 अगस्त 2014

प्रदेश में अवस्थापना एवं औद्योगिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने एवं समस्याओं के समाधान के लिए ऑनलाइन प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग सिस्टम (ई–पीएमएस) को तेजी से लागू किया जा रहा है। यह सुविधा राज्य में रु. 100 करोड़ से रु. 1000 करोड़ तक के निवेश वाली सार्वजनिक व निजी परियोजनाओं को उपलब्ध होगी।

इस संबंध में भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय में स्थापित प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप के अधिकारियों ने राज्य सरकार के प्रशासनिक व नोडल अधिकारियो को उद्योग बन्धु में दो–दिवसीय प्रशिक्षण दिया। इस सुविधा के सुचारू संचालन के लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग को प्रशासनिक एवं समन्वयक विभाग बनाया गया है, जबकि संबंधित 12 विभागों में नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। ये विभाग हैं– ऊर्जा, वन, प्रदूषण नियंत्रण, श्रम, फैक्टरी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, आबकारी, वाणिज्य कर, विद्युत सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, खाद्य, ड्रग।

प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग (आईआईडीडी), संजीव सरन ने कहा– *"यह एक पेपर–रहित ऑनलाइन परियोजना अनुश्रवण प्रणाली है, जिससे किसी कारण से रूके हुए निवेश–प्रोजेक्ट की मॉनीटरिंग व ट्रैकिंग की जा सकती है।"*

उन्होंने कहा कि अभी तक भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय में स्थापित प्रोजेक्ट मॉनीटंरिंग ग्रुप (पीएमजी) रु. 1000 करोड़ से अधिक के निवेश वाली परियोजनाओं का अनुश्रवण करता था, अब इस सुविधा के राज्य में शुरू होने के बाद रु. 100 करोड़ से रु. 1000 करोड़ तक की निवेश वाली परियोजनाओं को निवेशकों द्वारा उत्तर प्रदेश के पोर्टल पर समस्या सहित पंजीकृत किया जा सकेगा।"

इस व्यवस्था के तहत निवेशक के द्वारा **http://cabsecpmg.gov.in/UP/index.php** पोर्टल पर नई परियोजनाओं को दर्ज करना, राज्य सरकार द्वारा परियोजना को विचारार्थ स्वीकार करना, समस्याओं का विभिन्न संबंधित विभागों द्वारा समाधान तथा उच्च–स्तरीय बैठक में परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि पंजीकृत परियोजना के क्रियान्वयन की सभी समस्याओं के निवारण के बाद इस व्यवस्था में **परियोजना में किए जा रहे निवेश व प्रगति के अनुश्रवण** की भी सुविधा है।

सभी संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों को यूज़र आईडी दिए जाएंगे जिससे वे निवेशक द्वारा पोर्टल पर दर्ज़ की गई उनके विभाग से संबंधित समस्याओं को देख सकेंगे। इसी प्रकार पार्टल कर एडमिन समस्याओं के निवारण की समीक्षा तथा मास्टर डाटा के रख–रखाव व कई प्रकार की रिपोर्ट तैयार कर सकेगा। यहाँ तक कि इस संबंध में आयोजित की जाने वाली बैठकों का एजेण्डा व निर्णय भी सभी पक्षों व निवेशक को ई–मेल से स्वतः प्रेषित हो जाएंगे।

———————